न्यायिक मामले/
अति–महत्वपूर्ण
फैक्स/ईमेल

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/उ0 न्या0–15/2016 125 खाद्य, पटना/दिनांक– 25.01.18

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
(शेखपुरा, कैमूर, मुंगेर एवं सुपौल जिला को छोड़कर), बिहार।

विषय :– **MJC/CWJC/LPA में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर करने संबंधी अद्यतन सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि MJC/CWJC/LPA में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर कराने हेतु बार–बार पत्र, विभागीय बैठक एवं दूरभाष द्वारा सम्बन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारी से अनुरोध किया गया, परन्तु प्रगति असंतोषजनक है।

उल्लेखनीय है कि Empowered Committee की बैठक की कार्यवाही में मुख्य सचिव, बिहार का स्पष्ट निदेश है कि वाद की प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर माननीय उच्च न्यायालय/सम्बन्धित न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दायर कराना है। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत Empowered Committee की बैठक में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दायर नहीं होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

MJC/CWJC/LPA की लंबित सूची सलग्न करते हुए अनुरोध है कि इन मामलों में कारणपृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र अविलम्ब दायर कराने एवं तत्सम्बन्धी सूचना एक सप्ताह के अन्दर फैक्स/ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त मामलों में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारणपृच्छा दायर नहीं होने की स्थिति में यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

विश्वासभाजन,

अनु0– यथोक्त।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र04/उ0 न्या0–15/2016 125 खाद्य, पटना/दिनांक–25.01.18

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी (शेखपुरा, कैमूर, मुंगेर एवं सुपौल जिला को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपको निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से न्यायालय वाद विशेष रूप से MJC/LPA से सम्बन्धित लंबित सूची की समीक्षा कर तत्सम्बन्धी नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

सरकार के सचिव।